

न्यायालय तहसीलदार कठुमार (अलखर) राज.

शरकार जसिधे रिपोर्ट पटवारी हल्का तसई वनाम गोविन्दा 5/0-भवन जाख

प्रकरण अन्तगत धारा 81 एलआर इस्ट

प्रकरण संख्या - RA/88

निर्देश दिनांक - 22/01/19

प्रभावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संदोप में इस प्रकार है कि धारा 5-डाकोलोदी की आ.ध.न. 1540 मुल रकबा 2.34 किरम जमीन गोवु में से 0-01 रकबा पर भी गोविन्दा 5/0 भवन जाख पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर द्वारा कठुमार कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तसई द्वारा दिनांक 20/1/18

को उक्त किरम कागुनी कार्यवाही दिने जाने की रिपोर्ट गद्य ताईव भू.अ.निरी. कठुमार के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी गोविन्दा 5/0 भवन जाख जाति जाख निवासी 5-डाकोलोदी भू.राजस्य अधिनियम 1056 की धारा 81 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस वाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी

उपस्थित आया। जवाद नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ध.न. 1540 रकबा 2.34 में से 0-01 रकबा किरम गोवु के जो नियम को योग्य नहीं है दिहाजा औरसायम को अतिक्रमित रकबा से वेदखल किया जाने के आदेश दिने जाते है एवं दण्ड स्वरुप लगान 8 Paisa का

50 गुणा 4/4 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांगा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी तपूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी तसई भू.अ.निरी. कठुमार को लिखा जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा. अ. स. 4 नं. पट. अ. 3 नं. 1
दि. 20/1/19 तसई पटवारी क. 4/4 न
को कायमी की गई

तहसीलदार
कठुमार, अलखर (राज.)

प्रतिनिधि - फ. ए.

तहसीलदार
कठुमार